UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

SAFE BORDERS
A Blue Heart Campaign

मानव तस्करी

एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है और इसके कई रुप है

प्रथम सूचनादाता होने के तौर पर, चाहे जितनी भी छोटी भूमिका हो, आप मानव तस्करी को रोकने के अभियान का एक प्रमुख हिस्सा है

याद रखें

शायद आप ही पीड़ित की एकमात्र उम्मीद हों

मानव तस्करी क्या है ?

लोगों का शोषण कैसे होता है ?

बेकसूर लोगों को ज़बरदस्ती कई संवेदनहीन कामो में धकेल दिया जाता है, जैसे:

- यौन शोषण
- घरेलू श्रम / शोषण
- जबरन / ढोंगी शादी
- अंग तस्करी
- भीख मंगवाना
- नशीली पदार्थों का ग़ैर क़ानूनी व्यापार
- बच्चों को बाल सैनिको के रूप में भरती करवाना

यह कैसे होता है ?

मानव तस्कर कई फ़र्ज़ी तरीक़ो से मासूमो का शिकार करते है, जैसे:

- अच्छी नौकरी का वादा
- विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला
- शादी का प्रस्ताव
- तीर्थ यात्रा का अवसर

आख़िर क्यों ?

मानव तस्करी शोषण और ग़ैर क़ानूनी कमाई के इरादे से होता है

उम्र और लिंग को नज़र अंदाज़ करते हुए, मानव तस्कर पीड़ितों को विभिन्न तरीकों से प्रतिबंधित करते हैं, जैसे:

- प्रकट या गुप्त रूप से
- एकाकी या झुंड में
- सार्वजनिक या निजी वाहनों के प्रयोग द्वारा
- जल-स्थल अथवा आकाश मार्ग द्वारा

याद रखें

मानव तस्करी राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय सीमाओ के आर पार होता है !

सूत्रों को जोडे

मानव तस्करी से उत्पीड़ित लोगों के कुछ लक्षण

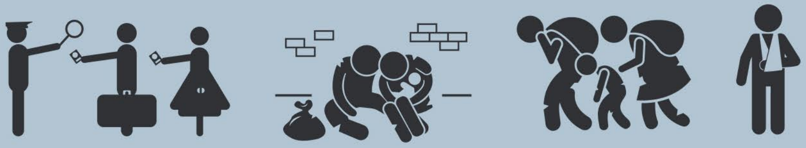

फिक्र, उदासी, घबराहट, तनाव और ज़रुरत से ज़्यादा आज्ञाकारी होना का प्रदर्शन

कीमती कपड़े, गहने, जूतों का पहनावा

शरीर पर बेरहमी और चोट के लक्षण

पूछने पर भी जानकारी देने में घबराहट या झिझक

रटे-रटाये वाक्यों का बार बार दोहराना

जोड़िओं में उम्र की असमानता

मंज़िल या घर के पते के बारे में स्पष्ट जानकारी न होना

एक ही साथ सफ़र करने वाले झुंड में कुछ लोगों का सुस्पष्ट अलग रुप-रंग अथवा उपस्थिति होना

एक ही साथ सफ़र करने वाले झुंड के सदस्यों का एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी न होना

झुंड मे सफ़र करते समय 'लीडर' बनने वाला तस्कर भी हो सकता है, जिसके पास बाकी सभी के रुपये और कागजात जमा हो

याद रखें

मानव तस्कर पहले पीड़ितों का भरोसा जीतते हैं , फिर उनका शोषण और अत्याचार करते है !

पीड़ितों से निपटते समय सुनिश्चित करें

- कोमलता से बातचीत शुरु करें
- जानने का प्रयास करे की क्या उत्पीड़ित को बात-चीत या चल-फिरने की छूट है या नही
- उत्पीड़ित की परिस्थिति पर ध्यान दे - क्या वो घायल/ भूखा/ प्यासा है ?
- ज़ाहिर जांच-पड़ताल ना करे , जैसे की - "क्या आप मानव तस्करी का शिकार है ?"
- अगर उत्पीड़ित आपकी भाषा को समझ ना पाए या रटे-रटाये वाक्यों को ही दोहराए तो उस पर ग़ौर करे
- ऐसे सवाल करे जिनका जवाब "हाँ" या "ना" तक ही सीमित ना हो
- अच्छा श्रोता बने, उत्पीड़ित को अपनी परिस्थिति स्पष्ट करने दे

याद रखें

महिलाओं और बच्चों से पूछताछ के दौरान एक महिला अधिकारी का होना अनिवार्य है

क्या करें ?

मानव तस्करी सम्बंधित सूचना देने हेतु इनसे संपर्क करें

चाइल्डलाइन :
1098

सशस्त्र सीमा वल :
1903

महिला हेल्पलाइन :
1091

ओवरसीस वर्कर्स रिसोर्स सेंटर:
+ 91 124 234 1002 /helpline@owrc.in

पुलिस :
100

निम्नलिखित नंबरों को पास रखें

स्थानीय NGO जो सहायता दे सके		शिशु कल्याण समिति (CWC)	

This leaflet has been made possible by the generous support of the United States Department of State